

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली.110 001 Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi- 110 001



सा०/No.: 5-1(352)/2016-PD

15.12.2023

Dated_____

प्रेषक : संयुक्त सचिव (प्रशासन)

From: Joint Secretary (Admn.)

सेवा में : सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के निदेशक/प्रधान

To : The Directors/Heads of all CSIR National Labs./Instts./Hqrs./Units

विषय : मास्टर परिपत्र - अभिदाताओं द्वारा सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम की निकासी/आहरण के उपबंधों

का उदारीकरण।

Sub. : Master circular-Liberalization of provisions for withdrawal/drawal of advance

from the General Provident Fund by the subscribers - reg.

महोदय/Sir / महोदया/Madam,

मुझे यह कहने का कि वित्तीय सलाहकार, सीएसआईआर की सहमित से सक्षम प्राधिकारी ने उपरोक्त विषय पर भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 21/05/2023-पी&पीडब्ल्यू(एफ) दिनांक 20.10.2023 के सीएसआईआर में पृष्ठांकन को मंजूरी दी है तथा इसे आपकी जानकारी, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

I am directed to state that the competent authority in CSIR with concurrence of FA, CSIR has approved the endorsement of Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Pension & Pensioners Welfare, Office Memorandum No. 21/05/2023-P&PW(F) dated 20.10.2023 on the above mentioned subject in CSIR to forward the same for your information, guidance and compliance.

भवदीय/Yours faithfully,

MM 15 12 2023

(एम. अरुण मणिकण्ड भारति / M Arun Manikanda Bharathi) अवर सचिव (नीति प्रभाग) / Under Secretary (PD)

संलग्न/Encl. : यथोपरि/As above

प्रतिलिपि/Copy to:

1) सी.एस.आई.आर. वेबसाइट/ CSIR Website.

2) कार्यालय प्रति/Office copy.

Phones: EPABX-23710138, 23710144, 23710158, 23710468, 23710805, 23711251, 23714238, 23714249, 23714769, 23715303 Fax: 91-11-23714788 Website: http://www.csir.res.in

फा. सं. २१/०५/२०२३-पी&पीडब्ल्यू(एफ)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

> तीसरा तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली, दिनांक: 20-10-2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय: मास्टर परिपत्र - अभिदाताओं द्वारा सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम की निकासी/आहरण के उपबंधों का उदारीकरण।

इस विभाग ने सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियम, 1960 से संबंधित समय-समय पर विभिन्न निर्देश जारी किए हैं। अब बेहतर जानकारी और मार्गदर्शन के लिए, इन निर्देशों को एक स्थान पर समेकित करने का निर्णय लिया गया है, जोकि निम्नानुसार है:

- 2. अभिदाताओं द्वारा सामान्य भविष्य निधि से निकासी
- 2.1 इन नियमों के उपबंधों की समीक्षा की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि अभिदाता को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए सामान्य भविष्य निधि से निकासी की अनुमति दी जाए:
 - शिक्षा- सभी स्ट्रीम और संस्थानों को कवर करते हुए, इसमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा, सभी को सम्मिलित किया जाएगा,
 - अनिवार्य व्यय अर्थात सगाई, विवाह, अंत्येष्टि, या स्वयं या परिवार के सदस्यों और आश्रितों के अन्य समारोह,
 - III. स्वयं, परिवार के सदस्यों या आश्रितों की बीमारी
 - IV. उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की खरीद.
- 2.2. बारह मास तक का वेतन या जमा राशि का तीन-चौथाई, जो भी कम हो, की निकासी की अनुमित है। तथापि, बीमारी के लिए, अभिदाता के खाते में जमा राशि का 90% तक की निकासी की अनुमित दी जा सकेगी। अभिदाता दस वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद निकासी की मांग कर सकता है।
- 2.3 (i) आवास जिसमें निवास के लिए उपयुक्त गृह का निर्माण करना या खरीदना या रहने के लिए तैयार फ्लैट खरीदना सम्मिलित है,
- (ii) बकाया आवास ऋण का पुनर्भुगतान,
- (iii) गृह बनाने के लिए जमीन की खरीद,
- (iv) अधिग्रहित स्थान पर गृह निर्माण,
- (v) पहले से अर्जित गृह का पुनर्निर्माण या उसमें कुछ परिवर्धन,
- (vi) पैतृक गृह का नवीनीकरण, परिवर्धन या परिवर्तन करना।

उपरोक्त प्रयोजनों के लिए, अभिदाता को अपने खाते में जमा राशि का नब्बे प्रतिशत तक निकासी की अनुमित दी जा सकेगी। यह भी निर्णय लिया गया है कि मौजूदा निदेशों को खत्म कर दिया जाए, जिसमें कहा गया था कि उस गृह की बिक्री के पश्चात जिसके लिए जीपीएफ निकासी की गई थी, आहरित राशि वापस जमा करनी होगी। आवास प्रयोजन के लिए जीपीएफ निकासी अब एचबीए नियमों के अधीन निर्धारित सीमा से नहीं जुड़ी होगी। अभिदाता को उसकी सेवा के दौरान किसी भी समय इस सुविधा का लाभ उठाने की अनुमित दी जा सकेगी।

- 2.4 (i) मोटर कार/मोटर साइकिल/स्कूटर आदि की खरीद या इस प्रयोजन के लिए पहले से लिए गए ऋण का पुनर्भुगतान,
- (ii) मोटर कार की व्यापक मरम्मत/ओवरहालिंग;
- (iii) मोटर कार/मोटर साइकिल/स्कूटर, मोपेड आदि बुक करने के लिए डिपॉज़िट।

अभिदाता को, उपरोक्त प्रयोजनों के लिए क्रेडिट पर जमा राशि का तीन-चौथाई हिस्सा या वाहन की लागत, जो भी कम हो, निकालने की अनुमति दी जा सकेगी। 10 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद उपरोक्त प्रयोजन के लिए निकासी की अनुमति दी जा सकेगी।

- 2.5 अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को अधिवर्षिता से दो वर्ष पूर्व, बिना कारण बताए शेष राशि के 90% तक की निकासी की अनुमति है।
- 2.6 अभिदाता द्वारा निधि से निकासी के सभी मामलों में, विभाग का घोषित अध्यक्ष निकासी की मंजूरी देने के लिए सक्षम है। अभिदाता को कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। अभिदाता द्वारा निकासी के कारणों का उल्लेख करने वाला एक सरल घोषणा पत्र पर्याप्त होगा।
- 2.7 सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियम, 1960 के अनुसार, आहारित राशि की मंजूरी और भुगतान के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अतः, निधि से निकासी के लिए, मंजूरी और भुगतान के लिए अधिकतम समय-सीमा पंद्रह दिन निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। आपातस्थिति जैसे बीमारी आदि के मामले में, समय-सीमा सात दिनों तक सीमित हो सकती है।

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग/का.ज्ञा. सं.3/2/2017-पी&पीडब्ल्यू(एफ)(ii)/ दिनांक 07-03-2017

- 3. अभिदाताओं द्वारा सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम आहरण
- 3.1 अब नियमों के उपबंधों की समीक्षा की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि अभिदाता को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियम, 1960 से अग्रिम राशि लेने की अनुमति दी जाए:

- (i) स्वयं, परिवार के सदस्यों या आश्रितों की बीमारी,
- (ii) अभिदाता के परिवार के सदस्यों या आश्रितों की शिक्षा। शिक्षा में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा शामिल होगी, जिसमें सभी स्ट्रीम और शैक्षणिक संस्थान शामिल होंगे।
- (iii) अनिवार्य व्यय अर्थात सगाई, विवाह, अंत्येष्टि, या अन्य समारोह,
- (iv) कानूनी कार्यवाही की लागत,
- (v) रक्षा लागत,
- (vi) उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की खरीद,
- (vii) तीर्थयात्रा और प्रतिष्ठित स्थानों का दौरा। इसमें यात्रा और पर्यटन संबंधी कोई भी गतिविधियां सम्मिलित होंगी।
- 3.2 अग्रिम की सीमा को 12 महीनों के वेतन या जमा राशि का तीन-चौथाई, जो भी कम हो, तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अग्रिम राशि की वसूली अधिकतम 60 किश्तों में की जायेगी। अग्रिम राशि घोषित कार्यालय प्रमुख द्वारा संस्वीकृत की जा सकेगी।
- 3.3 ऊपर कवर न किए गए कारणों के लिए, निधि से अग्रिम राशि मंजूर करने हेतु घोषित विभागाध्यक्ष सक्षम प्राधिकारी है।
- 3.4 निधि से अग्रिम की मंजूरी और भुगतान के लिए अधिकतम पंद्रह दिन की समय-सीमा निर्धारित की जा रही है। बीमारी आदि जैसी आपातस्थिति के मामले में, समय-सीमा सात दिनों तक सीमित होगी।
- 3.5 अग्रिम के उपरोक्त सभी मामलों में, अभिदाता को कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। अभिदाता द्वारा अग्रिम भुगतान के कारणों को बताने वाली एक साधारण घोषणा पर्याप्त होगी।

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग/का.जा. सं.3/2/2017-पी&पी डब्ल्यू(एफ)(i)/ दिनांक 07-03-2017

4. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि इन निदेशों/दिशानिर्देशों को सभी संबंधितों के संज्ञान में लाएं।

(मुभाष चंदर)

भारत सरकार के अवर सचिव

प्रतिलिपि: भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

F.No. 21/05/2023-P&PW(F) Government of India Ministry Of Personnel, Public Grievances & Pensions Department of Pension & Pensioners Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan, Khan Market, New Delhi, Dated: 20 -10- 2023

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Master circular-Liberalization of provisions for withdrawal/ drawal of advance from the General Provident Fund by the subscribers.

This Department has issued various instructions from time to time regarding General Provident Fund (Central Service) Rules, 1960. It is now decided to consolidate these instructions at one place for better understanding and guidance, as under:

2. Withdrawals from the General Provident Fund by the subscribers

- 2.1. The provisions in the rules have been reviewed and it has been decided to permit withdrawals from the General Provident Fund by the subscriber for the following purposes:
 - i. Education- This will include primary, secondary and higher education, covering all streams and institutions.
 - ii. Obligatory Expenses viz. betrothal, marriage, funerals, or other ceremonies of self or family members and dependants,
 - iii. Illness of self, family members or dependants,
 - iv. Purchase of consumer durables.
- 2.2. Withdrawal of upto twelve months pay or three-fourth of the amount standing at credit, whichever is less, is permitted. However, for illness, the withdrawal may be allowed upto 90% of the amount standing at credit of the subscriber. A subscriber may seek withdrawal after completion of ten years of service.
- 2.3 (i) Housing including building or acquiring a suitable house or a ready built flat for his residence,
- (ii) Repayment of outstanding housing loan,
- (iii) Purchase of house site for building a house,
- (iv) Constructing a house on a site acquired,
- (v) Reconstructing or making additions on a house already acquired,
- (vi) Renovating, additions or alterations of ancestral house.

A subscriber may be allowed to withdraw upto ninety percent of the amount standing at credit for the above purposes. It is also decided do away with the present instructions which lay

down that subsequent to the sale of house for which GPF withdrawal has been availed, the amount withdrawn has to be deposited back. GPF withdrawal for housing purpose will no longer be linked with the limits prescribed under HBA rules. A subscriber may be permitted to avail the facility at any time during his service.

- 2.4 (i) Purchase of motor car/motor cycle/ scooter etc. or repayment of loan already taken for the purpose,
- (ii) Extensive repairs/overhauling of motor car,
- (iii) Making deposit to book a motor car/motor cycle/scooter, moped etc.

A subscriber may be permitted to withdraw three-fourth of the amount standing at credit or cost of the vehicle, whichever is less for the above purposes. Withdrawal for the above purpose will be permitted after completion of 10 years of service.

- 2.5 Withdrawal of upto 90% of balance without assigning reasons is allowed for Government servants who are due for retirement on superannuation upto two years before superannuation.
- 2.6 In all cases of withdrawal from the fund by the subscriber, the declared Head of Department is competent to sanction withdrawal. No documentary proof will be required to be furnished by the subscriber. A simple declaration form by the subscriber explaining the reasons for withdrawal would be sufficient.
- 2.7 As per the GPF(CS) Rules, 1960, no time limit has been prescribed for sanction and payment of withdrawal amount. Therefore, it has been decided to prescribe a maximum time limit of fifteen days for sanction and payment of withdrawal from the Fund. In case of emergencies like illness etc., the time limit maybe restricted to seven days.

DoPPW OM No. 3/2/2017-P&PW(F)(ii) dated 07-03-2017

3. Drawal of Advance from the General Provident Funds by the subscribers

- 3.1 The provisions in the rules have now been reviewed and it has been decided to permit the subscriber to prefer an advance from General Provident Fund (Central Service) Rules, 1960 for the following purposes:
- (i) Illness of self, family members or dependents,
- (ii) Education of family members or dependent of the subscriber. Education will include primary, secondary and higher education, covering all streams and educational institutions,
- (iii) Obligatory Expenses viz. betrothal, marriage, funerals, or other ceremonies,
- (iv) Cost of Legal proceedings,
- (v) Cost of defence,
- (vi) Purchase of consumer durables,
- (vii) Pilgrimage and visiting places of eminence. This will include any travel and tourism related activities.

- 3.2 It has been decided to enhance the limit of advance upto 12 months of pay or three-fourth of the amount at credit, whichever is less. Amount of advance will be recoverable in a maximum of 60 installments. The advance may be sanctioned by the declared Head of Office.
- 3.3 The declared Head of Department is competent to sanction an advance from the fund for reasons not covered above.
- 3.4 Maximum time limit of fifteen days is being prescribed for sanction and payment of an advance from the Fund. In case of emergencies like illness etc., the time limit maybe restricted to seven days.
- 3.5 In all the above cases of advance, no documentary proof is required to be furnished by the subscriber. A simple declaration by the subscriber explaining the reasons for advance would be sufficient.

DoPPW OM No. 3/2/2017-P&PW(F)(i) dated 07-03-2017

4. All Ministries/Departments are requested to bring the instructions/guidelines to the notice of all concerned.

(Subhash Chander)

Under Secretary to the Government of India

Copy to: All Ministries/Department of the Govt. of India.